

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गूजीवलिंगी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/महा.वि.प./2011/ ३५१

दिनांक: ३०/०७/११

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : राधाकृष्ण महाविद्यालय, दतिया

मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपालिका  
2. डॉ. एस.एस. तोमर, भौतिकी विभाग, शासकीय एस.एल.पी. कॉलेज, ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, राधाकृष्ण महाविद्यालय, दतिया की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए.डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमंकर्ता पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बाहर से ही विषय क्षेत्र में न  
कि किसी भूत्या पदाधिकारी के नाम से।  
उन्नीति विषय पर वहीं पूर्ण में पत्र  
व्यवहार ठुक्का हो तो पत्र क्रमांक पर्यंत  
अवश्य लिखा जाए छिल्ले साथिया हो।



नाम : जूनीपरिदी  
फ़ोनमेस्ट : (0751) 2341696  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
फैक्स:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4555

दिनांक... 15/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध राधाकृष्ण बी.ए. कॉलेज, विद्या (09826230443) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महानन्ददय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधियियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत बिभागबुद्धार्थ बिरीक्षण समिति का गवर्नर नियम है:-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828) 31/02/12

(2) प्रो. अशोक शर्मा, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोस्टन कॉलेज, ग्वालियर।

बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परियम 27/28 के प्राप्ताधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष बिरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गोष्ठित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिक्यूलेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉक की जिसुक्तियों का प्रगाढ़ एवं तेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर बिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर बिरीक्षण करें; समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधासित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कारबिल्य में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गवर्नर का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देवी के टिए गहाविद्यालय स्वर्व उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना अनुरूप, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 मार्च में बिरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः बिरीक्षण समिति गवर्नर हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- करने करें होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुनर्बन्धन किया जायेगा। परियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रेषण देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कारबिल्य छात्रावक विवाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरियति से बिरीक्षण समिति के अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक विधासित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करावें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आनुसन्धान उच्च शिक्षा, सानुड़ा भवन, भोपाल
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सविव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
 विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न  
 कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
 व्यवहार कुठा हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
 अवश्य लिखा जाए तिलासे सुनिधा हो।



ग्राम : गूलीगढ़री  
 दूरभाष : (0751) 2341896  
 (0751) 2442829  
 फैक्स : (0751) 2341768

### प्रधक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सन्ख्या/2009/ ५९६५

दिनांक: ०१६.१.२

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध राष्ट्रीय महाविद्यालय, दतिया को सन्त्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/सञ्चालित बी.ए. पाठ्यक्रम दक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अव्यायी प्रम्बन्धता हेतु अबुशंसारों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अवधारणा निम्नानुसार निर्णय समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, प्रमाणकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
 (0751-2442630)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याकुलाता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अवैशिष्ट्यक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अबुगति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिलेस तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशोकाधिकारी समिति की प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारों अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद के ऐण्यानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सन्ख्याता प्रकरण 30 छूल, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए हैं। न.ग: समस्त समितियों के संयोजकों एवं गहाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अव्याहों / सचिवों का यह उत्तदायित है कि वे अपने मठ गहाविद्यालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न कर लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण देतु तिथि के विधायित के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति ने के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सन्ख्याता राखन्वी किसी भी प्रकरण में 30 छूल, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वा ही गहाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सन्ख्याती आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सन्ख्याता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविषय से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय द्वा निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरगुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियम सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सन्ख्याता)